

16.25 hrs.

**AGRICULTURE COMMODITIES
SUPPORT PRICE BILL**

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): I beg to move:*

"That the Bill to provide for the fixing of a remunerative support price for sugarcane, pulses and other agricultural commodities, be taken into consideration."

I have given the objects and reasons why this Bill is necessary at this time. This is a very simple Bill without any complicated provisions in it. I have brought out this Bill because this Bill is necessary in view of the various changes which have come about in the farming community. We find increased cost of farming operations especially in the case of small farmers and marginal farmers. Farmers are not getting remunerative prices for their products. Agricultural commodities also include sugarcane, pulses, etc. These commodities have been dealt with in a very comprehensive manner. Now, many farmers in this country are switching over to other occupations because they are not getting remunerative price for their produce. Time and again the Agriculture Prices Commission announces unremunerative prices for the agricultural commodities. For the last so many years, we have been discussing this subject in the House and we have also been discussing about the problems of the farmers. And in regard to the remunerative prices; opinions have been expressed both inside and outside the House by all sections of the people. This subject is not based on any political considerations. Our country's economy is entirely based on agriculture. The farmers community should not be put to a lot of difficulties. We have to look into their problems and try to solve them expeditiously.

At present, in this country, there are about 5,80,000 villages which are covered by about 4000 Agricultural Co-operative Societies only. The ratio between the number of villages and the number of co-

operative societies functioning in this country is very very negligible. The co-operative societies are not able to meet the requirements of the farmers in the rural areas. The farmers' demand is increasing day by day. If you see the population of the farmer community in the villages and the number of co-operative societies which are functioning there, you will find that these Co-operative Societies are far less in number than actually required for even meeting the basic requirements of the farmers.

Sir, I will be a little harsh if I say something about the A.P.C. I quite remember and also the House knows that last year, I raised this issue in this very House. The hon. Minister, Rao Birendra Singh, was kind enough to say and declare on the floor of the House that the opinion of the farmers and their experience will be taken into account. Their difficulties will be considered sympathetically. The hon. Minister had even gone to the extent of saying that the persons who would be having adequate background in the field of agriculture and also the growers who had the experience in farming will be included in the A.P.C. and the names would be announced by him after some time. But unfortunately the bureaucratic system must have prevented our hon. Minister from inclusion of these people in the A.P.C. So the A.P.C. was a subject matter for severe criticism. It was supposed to announce remunerative prices for various commodities for the benefit of the farmers. It has failed in its duty and it is now incurring the displeasure of the farmers in this country. That is the reason why I emphasise that mere creation of Agriculture Prices Commission will not help; mere deliberations and discussions in various forums and making announcement regarding the price policy for the agricultural commodities will not help the farmer community. Sir, the prices announced by the Agricultural Prices Commission many a time are not helpful to the farmers, or to those growing cash crops or even to the consumers.

*Moved with the recommendations of the President.

(Shri K. Lakkappa)

That is the reason why the recommendations of the Commission are sometimes rejected by the Government. Sir, this body has not been able to project a national policy of providing adequate price-structure both to the growers as well as to the consumers. That is why I have put it very clearly in my Bill that the Central Government in consultation with the Agricultural Prices Commission should announce the support price for different agricultural commodities, for different regions of the country well before every agricultural season. This is very important. If this is not done the farmers do not know when the Agricultural Prices Commission announces the prices of a particular commodity, say of rice, pulses, sugar-cane or other agricultural commodities. Sir, I may say for the benefit of the House that there are many agricultural items which have not been taken care of by the Commission and these have been lost sight of by the Commission. In pulses, take for example gram, arhar, urad, mustard and sometimes even groundnut. Therefore, I say most of the agricultural products grown by medium and small farmers have not been taken into consideration while announcing the price policy. Sir, if we have to encourage the production of a particular agricultural item, a favourable price for it has to be announced well before its sowing. But what we find is that when there is shortage of say pulses in the country, the farmers grow pulses say in Gujarat, but its prices fall down with the result next season they switch on to some other product. Similarly, if in the South agriculturists grow sugar-cane, its prices come down and they switch on to groundnut next time.

And when they switch on to groundnuts, its prices come down and they switch on to another product the prices of which are high. Therefore, I say that the Agricultural Prices Commission should be given the full status of a statutory body. If its decisions are to be implemented, the Commission must take into consideration all the necessary factors, difficulties and experiences concern-

ing the medium and marginal farmers into account. But it has been found that it only takes into consideration the average needs for operations and input requirements of the average big farmers and on that basis they come to the conclusion.

Sir, it has been found that the farmers in different parts of the country have not been satisfied with the work of the Agricultural Prices Commission. This has been discussed in the Third Indian Agricultural Congress held in Bhubanshwar some time back. The Congress went to the extent of describing the fact that the Commission was doing great injustice to the farming community of the country. That Congress also adopted a resolution on agricultural prices and marketing, and urged the Government to devise more suitable and universally accepted procedures for fixation of prices of agricultural commodities. It has been the cry of the farmers to devise an entirely different machinery for fixation of the prices, in which there are enough safeguards for respecting the views of the farming community, as is done in several developed countries.

Ours is one of the most important developing, democratic countries. Farmers are the backbone of this country. Unless the prices of agricultural commodities are fixed at a level remunerative to producers, it would not be possible to bring any economic relief to the farmers, which was the primary requirement for rural development programmes. It is not that the volume of commodities produced by the farmers should be the only criterion for fixing the prices. We have to take into consideration the developmental activities taking place in the areas where the farmers produce the commodities; and our aim should be to make the farming community more viable. We will have to provide the infra-structure needed for the farming community, and study their needs relating to marketing and insurance facilities, fertilizer pattern, distribution of fertilizers and also implements—and modernizing the methods of operation, and mechanization.

We wanted to bring about land reforms. We have brought in land reforms, and our Government has done it. But has the land reform brought about meaningful changes in the agricultural system and occupation? Has the conscience of the society been aroused regarding land-labourers, farming classes, weaker sections and people having small holdings? What is the kind of mechanization available to-day for agriculturists having small holdings? Do we have tractors which are conducive to our present agricultural operations? No. They have not been manufactured till now. We have been producing big tractors which are not useful to small farmers; and they cannot afford to buy them since those big tractors cannot be useful to them. They cannot be used on their small holdings.

This is how the agricultural economy, and this farming community have been neglected—by not introducing a scientific system of mechanization. The wage policy and wage structure have been changing from time to time. The cost of agricultural operations has considerably risen in recent years, and the cost of components which are to be taken into account while working out a price policy include human labour, machine labour, all material inputs like manures, fertilizers, seeds, pesticides, irrigation as also costs including interest on capital and rental value of land. This is so, because our landless labour has to cultivate on rental basis.

The procurement policy should have some affinity with the marketing centres. To transport the produce to the marketing centres, construction of roads is a must. The nature of transportation system available has also to be taken into consideration by the Agricultural Prices Commission.

What are the objects and reasons behind the setting up of the Agricultural Prices Commission? Has this Agricultural Prices Commission undergone changes in its outlook on the basis of the structural changes that we have envisaged? Government has adopted a progressive policy in these matters. The statutory body should be given full powers to see that the vital points such as land reforms,

irrigation policy, water policy should be taken into consideration. They have to meet the requirement of the farmers and the farming community. These structural changes are necessary in the organised sector for bringing about meaningful changes in the farming community. The Indian Agriculture Congress adopted a resolution on agricultural prices marketing and urged the Government to devise more suitable and universally accepted procedure for fixation of prices of agricultural commodities. In that resolution, they have also said that unless prices of agricultural commodities are fixed at a level remunerative to producers, it would not be possible to bring any relief to the farmers which was the primary requirement for rural development programme. As far as urban people are concerned, those who are land-holders, those who are capable of putting their black-money into the farming system, their thinking has been included in the Agriculture Prices Commission. They have not taken into consideration this thing while fixing the prices; they have not taken into consideration the conditions of the starving farmers, where there are no communication systems in the villages, those who are not getting fertilisers; those who are not getting all the facilities, as far as agricultural development is concerned. As far as drying farming is concerned, all the facilities have to be taken into consideration in order to develop that area. Nothing has been on record to show that how they came to the conclusion, when will they announce the remunerative prices and so on.

The Agricultural Prices Commission has not taken into consideration the vagaries of nature, unforeseen circumstances like, floods, drought, natural calamities, cyclonic storms, etc. So far as agricultural commodities are concerned, we must have a national policy to announce in a particular season so that the farmers may not be put to any loss. At the time of growing sugar cane, the Government must announce saying that this is the price that the farmers will get, this is the profit, that they will get if there is a good crop, this is the loss that they may incur if there is a bad crop this is the support price that they will get

[Shri K. Lakkappa]

and so on. All these things are not envisaged in the Agricultural Prices Commission.

The hon. Minister is sitting here. I would like to quote him. There has been considerable increase in the cost of inputs during the last few years. I, along with my other friends put a question to the Minister. "Is it a fact that the cost of fertilisers would adversely affect the small farmers, medium farmers, marginal farmers and big farmers?" They said, "No; we are giving them subsidy and we are paying them from the tax-payers' money." Therefore, I would like to know whether the cost of these inputs, fertilisers and other things, have been properly assessed in our country, according to the size of the land, according to the season and according to the vagaries of nature in various parts of the country.

Take for example the question of high yielding variety of seeds; 98 per cent of the seeds do not have even ten per cent of the germination. Therefore, there is no seed policy. Therefore, when there is no seed policy, when we go in for irrigation, we do not get the expected yield whether it is paddy, ragi, wheat, jawar or sugarcane. With regard to sugar-cane we have announced the price. Today there is a glut of sugar. The sugarcane growers are crying and the mill-owners are also side by side growing, because they do not have godown facilities even to keep their sugar. Therefore the farmers are crying that the sugar mill owners are producing more sugar and hundreds of crores of rupees have been locked up and the farmers are suffering. This is the situation that is prevailing today. Therefore, the Agriculture Ministry has to come to the rescue of the farmers and ensure that they get their price. They have given memoranda even to the highest authorities, the millowners can organise themselves because they have got money and they also get money from the banks. But the poor farmers cannot get money.

The small farmers do not get a proper price; they do not get marketing facilities.

The Government should keep these things in view while announcing the price policy. Therefore, while in various other fields like the small industry sectors people get the benefit, the small farmers will only wither away and they will take to other vocations. They will even change what is called the pattern of agriculture and they will go away to other professions.

MR. CHAIRMAN: Mr. Lakkappa, there are many members who are keen to participate in this discussion. Will you please now conclude?

SHRI K. LAKKAPPA: Will you kindly give me ten minutes more?

MR. CHAIRMAN: Not ten minutes; in two or three minutes you may conclude. You have covered all the points. The Minister was present only to listen to your speech.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBAIAH): He will go on for one hour.

MR. CHAIRMAN: He has made very forceful pleas.

SHRI K. LAKKAPPA: Now, let us take what are called these research conclusions. Lot of research has been made by the Indian Council of Agricultural Research. The Agricultural scientists there have come to grip, with the problems. Agricultural scientists 24 Agricultural Institutes, 22 Agricultural Universities, 32 Coordinated Research Projects have been doing this research over the years. They have done excellent work. But their conclusions have not reached the farmers. The small farmer has not benefited by their research. No proper atmosphere has been created for them. Therefore, today even 50 per cent of the land is not being utilised properly, even after the land reforms. If you announce a realistic price policy and a remunerative price policy for agriculture of all kinds, I think the agriculturists will take it very seriously. The standard of living, the social life and the social status of the agricultural community should be improved. Their place

in society is not the same as that of big monopoly houses, as that of industrialists or that of other professionalists, or scientists. Take the case of those people who are living in our villages, living by agriculture. Our country is based on agriculture. Why is it that there is disparity in society, in their family life, their standard of living and their way of life as compared to the others? They are to be treated as you treat the others, the industrialists, the small scale industrialists, medium scale industrialists. They constitute a large section. You have to ensure that all the facilities percolate to them in the same manner as to the others, to elevate their standard of living. It is a good thing that the Government of India has taken a policy decision to take up economic programmes for the benefit of the farming community. When the Government is committed to this, I request it to see that these programmes are implemented earnestly. Now, there is a wide gap and disparity between the price which a farmer gets for his produce and the price which an industrialist gets of his finished product. This should be reduced.

People who are doing nefarious, anti-social and anti-national activities, are instigating the farmers whether they are in Maharashtra or Tamil Nadu or in other parts of the country. We should not become an instrument in the hands of these people, who want to politicalise the whole thing. In order to make political capital out of it, they are making the poor farmers their victims.

I would urge upon this Government to re-structure the APC, make it more effective and meaningful, see that the prices are announced well before the start of the season and the interests of the farmers are protected. There should not be a wide gap between the farmers and other people as far as their standard of living, social status and economic status are concerned. The Government should provide more funds to the farmers and give liberal concessions to them. Liberal policies for the benefit of the farmers should be pursued.

I commend this Bill for the approval of the House. I request the hon. Members to support this measure. I hope, our progressive Government and also our very able and ebullient Agriculture Minister would agree with me and accept my Bill.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हावरग): माननीय सभापति जी, यह एक संयम की बात है कि किसानों की समस्याओं के ऊपर कि उनको उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिए—इस विषय पर हम इस हाउस में चर्चा कर रहे हैं। इस सभा के सभापति के रूप में आप विराजमान हैं, आप भी एक कृषक परिवार में पैदा हुए हैं और माननीय मंत्री महोदय का भी किसानों से गहरा सम्बंध रहा है और मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं भी एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। बेहतर यह हो कि माननीय सदस्य ने अपने इस बिल में किसानों की जिन समस्याओं का चित्रण किया है और भारत का किसान किस तरह से जीवित रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वह जाड़े की कड़कती सर्दियों में और जून तथा मई की तपती हुई दोपहरी में खेत में काम करता है, उसके बावजूद भी उसको उगकी मेहनत का फल नहीं मिलता। वह परिश्रम करता रहता है और इस देश के लोगों को रांटी देता है और उनके पेट को पालता है। माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो अपनी भावना व्यक्त की है, उस संदर्भ में मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए, किसानों की समस्याओं को हल करना चाहिए।

हमारा देश किसानों का देश है। देश की आबादी का 75-80 प्रतिशत के निर्मियान लोग गांवों में रहते हैं। उनका संबंध किसी न किसी रूप में या तो खेती से है या वे खेती करते हैं... लेकिन हमारे किसानों के सामने इतनी भयंकर समस्याएँ हैं खास तौर पर आज के समय में कि उनको बारी में सरकार को बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक सोचना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि अभी अभी आलू की फसल पैदा हुई थी और वह आलू इतना खराब हुआ कि आप को सून कर

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

ताज्जुक होगा कि 20 रुपये क्वींटल में भी आलू को किसी ने नहीं पूछा। अगर आलू की पैदावार में जो लागत आती है, उस का अन्दाजा लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि किसान को आलू के बीज का पैसा भी वापस नहीं हो पाया है। आज पानी की समस्या है, बिजली मिल नहीं रही है, खाद के दाम दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं और लेबर की इतनी बड़ी प्रब्लम है कि आज गांव में लेबर भी 10-12 रुपये रोज से कम पर नहीं मिलता है। मैं स्वयं आलू पैदा करता हूँ और हमारे यहां बीधा का हिसाब चलता है। तीन बीधे का एक एकड़ होता है और और कच्चे 5 बीधे का एक एकड़ होता है। एक कच्चे बीधा में 200-250 रुपये की खाद ले कर डालें, तो मुश्किल से 30-40 मन आलू पैदा होता है, 15-16 क्वींटल आलू पैदा होता है। अब आप अन्दाजा लगाइए कि इस में कितनी लागत आती है और कितना किसान को मिलता है मेरे कहने का आशय यह है कि किसान के सामने यह सब से बड़ी समस्या है कि उन को उन की वस्तु का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और इस वजह से उस का दम टूटता है और इस का असर उस के पूरे परिवार पर पड़ता है और किसानों का सामूहिक परिवार ही यह देश है, तो इस का असर पूरे देश पर पड़ता है। यह कहा जाता है कि मैं कहूंगा कि यह सत्य है और जब मैं किसान की बात कहता हूँ, तो उस किसान की बात कहता हूँ जो खेत में हल चलाता है, खेत में पानी लगाता है, जो गाय चराता है, जो अनाज निकालता है और मैं उस किसान की बात नहीं कहता, जिस के पास एक-एक हजार, दो-दो हजार और पांच-पांच हजार बीघा जमीन है, जिस को यह पता नहीं कि खेती किस तरह से की जाती है, हल किस तरह से चलाया जाता है, पानी खेतों में किस तरह लगाया जाता है। मेरा मतलब उस किसान से है, जो छोटा किसान है, जो मध्यम वर्ग का किसान है, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है और जो पसीना बहाता है। मैं उस किसान की बात कह रहा हूँ, जिस के बारे में यह कहा जाता है कि भारत का किसान कर्जे में ही पैदा होगा है और कर्जे में ही मरता है।

मेरा कहना यह कि ऐसे किसानों की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। ऐसा किसान, जिस चीज का उत्पादन करता है, उस को उस का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। आप का जो कृषि मूल्य आयोग है, उस में किसानों का रैप्रेजेंटेशन न के बराबर है। जो किसान किसानी करता है, ऐसे किसान का बेटा उस में हो। ऐसे लोगों को उस में रखा जाना चाहिये और मेरा कहना यह है कि फसल से पहले कृषि मूल्य आयोग के परामर्श से भारत सरकार को किसान के उत्पाद का मूल्य घोषित कर देना चाहिये और सरकारी एजेंसियों के द्वारा उस की खरीद होनी चाहिए। बहुत से मूल्य ऐसे हैं, जहां पर किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाता है और उन को नुकसान न हो, इसके लिये वहां पर सरकार किसान की पूरी फसल खरीदती है चाहे उन के पास जो अनाज है, उस को आग लगानी पड़े या फिर उस को समुन्द्र में डालना पड़े। किसान को वहां पर उस की पैदावार का उचित मूल्य मिलता है।

हमारे यहां जो गन्ना है या आलू है, ये तो कुछ दिन टिक सकते हैं, गेहूँ, बाजरा आदि जो अपाय है, वे भी कुछ दिन टिक सकते हैं, लेकिन जो लोग सब्जी पैसा करते हैं, उन को उस के उचित दाम नहीं मिलते हैं क्योंकि सब्जी बहुत दिनों तक नहीं टिक सकती है। मेरी जो शहर में जमीन है, मैं उस पर सब्जी पैदा करता हूँ और आप को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि मेरे यहां जो टमाटर पैदा हुआ, उस को किसी ने एक रुपये में पांच किलो भी नहीं पूछा। जो लोग सब्जी पैदा करते हैं, उन को उसके उचित दाम नहीं मिलते हैं। यहां दिल्ली में 2 रुपये किलो टमाटर मिलता है लेकिन हमारे यहां उस के इतने पैसे नहीं मिलते हैं। सब्जी बहुत खराब हो जाती है और सब्जी पैदा करने वालों को उन की सब्जी का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और जब ऐसा होता है, तो उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उन को उन की लागत भी नहीं मिल पाती है। मेरे कहने का आशय यह है कि सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये कि उन को उन की सब्जियों का उचित मूल्य मिले और वे खराब न हों।

एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह है कि एफ. सी. आई. किसानों का गल्ला नहीं खरीद रही है और उत्तर प्रदेश, जिस सूबे से मैं आता हूँ, में ऐसा हो रहा है। बहुत से ऐसे सूबे हैं, जहाँ पर वहाँ की सरकारें राज्य सरकार की एजेंसियों, पी. सी. एफ. और दूसरी एजेंसियों द्वारा गेहूँ खरीदती हैं और सेंट्रल पूल के लिये गेहूँ खरीदती हैं लेकिन हमारे यहाँ एफ. सी. आई. गेहूँ नहीं खरीद रही है और लाखों टन गेहूँ खूले में पड़ा हुआ है, खेतों में अनाज पड़ा हुआ है। बरसात होने से यह सब अनाज खराब हो गया और एफ. सी. आई. यह कहती है कि वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन के नियम के अनुसार अगर 15 पर सेंट गेहूँ भी खराब है, तो वह लोगों के खाने लायक नहीं है और यह जो गेहूँ है यह 40-50 पर सेंट खराब है, इसलिये वह इस को खरीद नहीं रही है। यह मैं शानता हूँ कि ऐसे महीने में बरसात हुई है जबकि बरसात नहीं होती थी। अप्रैल और मई में बरसात हुई है। लेकिन हमारी सरकार किसानों के साथ है, किसानों का शुभचिन्तक है। सरकार ने आदेश दिया है कि किसान की उपज को खरीदा जाए और सरकार की एजेंसियों ने उसकी उपज को खरीदा है जिससे किसान बहुत बड़े नुकसान से बच गया है। लेकिन फिर भी किसान को उचित मूल्य देने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि इस बिल में जो भावना व्यक्त की गयी है, सिद्धान्त रूप में सरकार को उस को मानना चाहिये। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, अगर किसान तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। किसानों को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है। किसान के हित में सरकार को सोच समझ कर उचित कदम उठाने चाहिये जिससे उसको उसके माल की पूरी कीमत मिल जाए। इस से उसे और अधिक उपज करने की प्रेरणा मिलेगी और उसके अधिक उत्पादन करने से देश भी आगे बढ़ेगा।

17.00 hrs.

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत के किसान को बधाई देना चाहता हूँ कि आज किसान कठिन श्रम कर के और काफी

पैसा लगा कर भी उत्पादन बढ़ा रहा है। अगर किसान को उसके उत्पादन का सही मूल्य मिल जाये तो वह और भी अधिक पैदावार कर के देश को और अधिक आत्म निर्भर बना सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री राणा बीर सिंह (कैसरगंज): सभापति महोदय, यह बिल तो बहुत लम्बा चौड़ा है और तीन-चार दिन तक सदन भी नहीं बैठेगा, इसलिये पता नहीं हमें इस पर बोलने का कब मौका मिले। यह बिल किसानों के सम्बन्ध में और किसानों की समस्याओं को लेकर बहस हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

बहराइच और बाराबंकी के क्षेत्र में इतना जर्बदस्त सूखा पड़ा है कि हमें यह खास बात कहनी पड़ रही है। मंत्री जी ने अभी उस दिन जो वक्तव्य दिया था कि वाइड स्प्रेड रेन हुई है, इस सम्बन्ध में मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि उनके मौसम कार्यालय की यह सूचना निराधार है। हमारे बहराइच और बाराबंकी जिले में एक बूंद पानी नहीं पड़ा है। वहाँ किसान की सारी फसल नष्ट हो गयी है। पहले उसकी फसल बाढ़ से नष्ट हुई थी, फिर ओलावृष्टि से हुई और अब इस सूखे से हो गयी है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इन जिलों में राहत कार्य पहचानने के लिये तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए। इन जिलों में विजली की उपलब्धता भी सब से पहले सुनिश्चित की जाये। खाली योजना बनाने से ही काम नहीं चलेगा। आपको यह भी देखना होगा कि वहाँ राहत कार्य हो रहे हैं या नहीं, वहाँ बिजली दी जा रही है या नहीं। इन सब बातों की तरफ ध्यान देना भी हमारा कर्तव्य है।

सभापति महोदय: आप बैठिये। आपने मंत्री महोदय का ध्यान खींच दिया है और यह बता दिया है कि मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह सही स्थिति को कब नहीं करता है।

I will draw the attention of the Minister. I hope the Minister is listening.

SHRI RAMAVIR SINGH (Kaiserganj): No, he is not listening.

MR. CHAIRMAN: Mr. Agriculture Minister, your attention has been drawn by the hon. Member to the statement which was made on the floor of the House giving the information that the widespread rain has taken place. He said that it does not give the correct picture. Still a widespread drought situation is prevailing and he said that the Ministry should take immediate steps so that necessary instructions go for supply of electricity, more attention to farmers and necessary steps to meet the drought situation. Your attention has been drawn and I hope you will take note of it. Necessary instructions should go because that is very important. The drought situation is really serious. Now, the Minister will take necessary steps.

Now, Mr. Madhukar may speak.

17.04 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair].

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति महोदय, श्री लक्ष्मण जी ने जो बिल पेश किया है, उसका समर्थक करने से पहले मैं उनके इस ब्यान का खण्डन करता हूँ कि हिन्दुस्तान में किसानों के समस्त आन्दोलन एन्टी सोशल और एन्टी नेशनल लोगों के हाथ में रहे हैं। भारत में किसानों के जो आन्दोलन चले, उनमें हमारे प्रो. रंगा जी जैसे लोग भी सम्बद्ध रहे हैं। प्रो. रंगा जी तो यहां बैठे हैं। शहजानंद स्वामी जैसे महान लोगों ने अंग्रेजों के राज्य में किसान आन्दोलन उठाया था। आज भी हिन्दुस्तान के लगभग इलाकों में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में किसान आंदोलन चल रहा है और इनकी सबसे मूल्य मांग यह है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिये।

लाभकारी मूल्य क्यों मिलना चाहिए, इसके कई कारण हैं। किसानों का कितना प्रतिशत देश में है? राष्ट्रीय आमदनी का 48 प्रतिशत कृषि से आता है, किसानों की पैदावार से आता है। किसान गांवों में रहते हैं और कुल जनसंख्या का 70-80 प्रतिशत है। इनकी समस्याओं को हल

किये बगैर देश कभी खुशहाल नहीं बन सकता और देश में सिर्फ बड़े-बड़े बिड़लाओं और टाटाओं की तरक्की होती रहेगी। हाल ही में एक प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया था कि टाटा-बिड़ला की आमदनी बढ़कर 13 करोड़, 15 करोड़ हो गई है और दूसरी तरफ किसानों की हालत कितनी बदतर है।

किसानों की हालत के कई कारण हैं। खाद, रासायनिक दवाइयां, बिजली-पानी, मजदूरों की मजदूरी इत्यादि सब चीजों के चार्जेंज बढ़ गये हैं, इससे हर साल किसानों का खर्च बढ़ता जा रहा है। फर्टिलाइजर की बात तो छोड़ दीजिये, केवल कीटनाशक दवाइयों के दाम ही 50 फीसदी से अधिक बढ़ गये हैं।

इसलिये लक्ष्मण जी की इस बात का कि किसानों को एन्टी नेशनल लोग भड़का रहे हैं, मैं समर्थन नहीं करता। आज यह एक राष्ट्रीय मांग हो गई है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए।

ब्रिटिश राज्य से लेकर कांग्रेस राज्य, जनता राज्य और फिर नई कांग्रेस (आई) के राज्य में किसानों की लूट ही हुई है। अगर इस लूट का हिसाब लगाया जाए तो ब्रिटिश राज्य के बाद से अब तक 40 अरब रुपया किसानों की जेब से निकाला जा चुका है। चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे जनता सरकार रही हो, कोई फर्क नहीं रहा, भले ही सब ने किसानों के फर्माबरदार बनने की कोशिश की। इसकी वजह यह है कि यह सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देती है।

आपकी सरकार किसानों के लिये सब कुछ कर रही है तो किसानों को लाभकारी मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों गुजरात में लोग किसानों को उकसा देते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश में किसानों का आन्दोलन क्यों खड़ा हो जाता है? चाहे गन्ने का सवाल हो, गेहूँ, कपाम, रबर, आलू का सवाल हो, ये चीजें जो किसान पैदा करता है और बेचता है, पूंजीवादी बाजार में इसकी भयंकर लूट हो रही है। किसान सस्ते दाम पर बेचने के लिये इसलिये मजबूर है कि उसने बैंकों से लोन ले रखा है। पूंजी-

पति उस माल को खरीद कर बाद में अधिक दाम में बेचते हैं। इस तरह से पूँजीपतियों और टैक्सों द्वारा किसान की चाँतरफा लूट हो रही है।

ए. पी. सी. क्या है, यह सफेद हाथी है। यह पता नहीं कौन से विज्ञान का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए यह किसानों को लाभकारी मूल्य देने की सिफारिश नहीं करता। मैं उदाहरण देता हूँ। बिहार, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु में जहाँ गन्ना पैदा होता है गन्ने के दाम आपने साढ़े तेरह रुपये क्विंटल तय किये लेकिन राज्य सरकारों ने पिछले साल से भी कम दाम गन्ने के इस साल दिए। पूरे देश में गन्ना किसान को इस कारण से आन्दोलन करना पड़ा। कई किसान मारे भी गये। यह कौन सी नीति है किसान को लाभकारी मूल्य देने की? लाभकारी मूल्य मिलते हैं चीनी मिल मालिकों को, गन्ना किसान को नहीं, हरसेसेलर को, पूँजी पति जो लूटते हैं उनको। मेरी मांग है कि ए.पी.सी. का फिर से पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अन्तराष्ट्रीय मॉनोपॉलिस्टों के हाथ में आप बिके हुए हैं जिस सबूत में देता हूँ। केरल में रबड़ का दाम घटा दिया गया है और रबड़ बाहर से मंगाया गया है। इसी तरह से गुजरात में काटन के दाम घटा दिए गए हैं और काटन बाहर से मंगाया गया है। जब देश में काटन और रबड़ पर्याप्त मात्रा में है तो क्यों इसको बाहर से मंगाने की आपका जरूरत महसूस होती है? पिछले साल आपने गेहूँ अमरीका से मंगाया 195 रुपये क्विंटल पर और यहाँ आ कर वह आपको 210 या 215 रुपये पड़ा। लेकिन यहाँ के किसान को जो 160 रुपये देने की मांग थी वह सरकार ने नहीं दिया। किसान को इस तरह से अरबों रुपये की क्षति उठानी पड़ी। इसका नतीजा यह भी हुआ कि जो गेहूँ का बफर स्टॉक आप कायम करना चाहते थे वह भी नहीं हो पाया। इस साल भी यही बात है।

जूट ब्रेस्ट बंगाल में ज्यादा पैदा होता है। वहाँ की सरकार लाभकारी मूल्य देने के लिये तैयार है। उसने एलान भी किया है। लेकिन जो सी आई खरीद नहीं करती है। बिहार में पूर्णिया का मुझे मालूम है। जो सी आई वालों की व्यापारियों से मिली

भगत होती है, बड़े व्यापारियों के साथ उन का मेल जाल होता है और वे खरीद नहीं करते हैं और बड़े-बड़े व्यापारियों को वे फ्री मार्केट में खरीदने देते हैं जो कि किसानों को लूटते हैं और उनका मनमाने दाम देते हैं। यही चीज एफ सी आई वालों पर भी लागू होती है। बिहार में लक्ष्य की पीरत नहीं हुई है। वहाँ की सरकारी एजेंसियां बड़े व्यापारियों से मिली रहती हैं। इस मेल-जोल को आप दूर नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा।

आप पंडी को लें। गन्ने को लें। तम्बाकू को लें। तम्बाकू आंध्र में होता है। इसके दामों को लेकर किसानों का वहाँ आन्दोलन करना पड़ा है। इसका लाभकारी मूल्य वहाँ किसान को नहीं मिला। तम्बाकू वहाँ के व्यापारियों ने बैंकों से रुपये उधार ले कर खरीदा और उस पैसे से किसान को लूट की। पूँजीपतियों के आगे आप नतमस्तक हैं। आपके पास कोई उपाय नहीं है। उन से पैसा ले कर आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। उनके खिलाफ काय करने की आप में हिम्मत नहीं है।

मेरी मांग है कि कच्चे माल की जो जो होलसेल ट्रेड है उसको आप अपने हाथ में लें। प्रभावकारी ढंग से आप इस काम को करें। लाभकारी मूल्यों का एलान आप सीजन से पहले करें ताकि किसान को जो तोबा हो वह तो सके। चूँकि पहले एलान नहीं किया जाता है इस बास्ते किसान जानता नहीं है कि गन्ना, गेहूँ, आलू या क्या चीज वह पैदा करें। इस माल परेड के बावजूद किसान का बीस लाख क्विंटल गन्ना खेत में सड़ गया है। इस तरह की जो चीजे हैं इनकी तरफ आप ध्यान दें। मेरी मांग है कि किसान के कच्चे माल के दामों का, लाभकारी दामों का एलान आप पहले से करें।

किसान पैदा ही नहीं करता बल्कि वह बहुत सी चीजे हैं जो खरीदता भी है, जैसे कपड़ा, तेल, साबून, दवाइयाँ आदि। उसके द्वारा पैदा की हुई चीजों और इन बस्तुओं की कीमतों में सन्तुलन होना चाहिये। किसान को जितनी जामदनी होती है आपको देखना चाहिये कि उसके अनुसार खर्च करने की उस में ताकत भी है या नहीं। फाईट-लाइजर, कौट नाशक दवाइयाँ पिजली नादि

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

आप सस्ते में उसको दें। बिड़ला की अल्मुनियम फाक्ट्री को 12 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली दी जाती है लेकिन बिहार में किसानों को फिक्स्ड डिपॉजिट देने के बाद भी 45 पैसे की दर पर बिजली मिलती है, और वह भी उनकी जरूरत के वक्त नहीं मिलती है। यहां एम. पी. पी. फ्लैट्स में बिजली नहीं मिलती तो किसानों का तो भगवान ही मालिक है। किसानों के पटवन रेट में कोई कमी नहीं है, बल्कि बिहार में बढ़ाया गया है। मेरे इलाके में गंडक योजना है, सिंचाई नहीं होती है लेकिन रुपया उनसे वसूल कर लिया जाता है। उनका लगान माफ नहीं किया जाता है। मेरी मांग है कि किसानों को बिजली सस्ती और सविंडाइज्ड रेट्स पर मिलनी चाहिये। बिहार, यू.पी., हरियाणा में गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया मिल मालिकों पर बकाया है जिसको उनको भुगतान कराया जाये। इसी तरह से कोआपरेटिव सोसाइटीज की हालत यह है कि जो धनी परिवार के किसान लोग हैं उनको तो लाभ मिलता है, लेकिन गरीब किसान को कोई लाभ नहीं मिलता। बड़े बड़े लोग सरकार से कर्ज लेते हैं और उस पैसे को अधिक व्याज दर पर किसानों को कर्ज पर दे देते हैं। इसलिये छोटे और गरीब किसानों को सीधे सोसाइटी से ऋण दिया जाये। बैंक जो बड़े बड़े स्टूट-बाजों को कर्ज देते हैं और उस पैसे से होलसेल ट्रेड करते हैं कच्चे माल का इस काम के लिये उनको बैंकों से कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिये। बैंक का रुपया सरकार अपनी एजेन्सी के जरिये, होलसेल ट्रेड अपने हाथ में ले कर, गरीब किसानों को दे। सरकार को अपनी नीति को बदलना पड़ेगा। अभी जो नीति बड़े उद्योग-पतियों और स्टूटबाजों के पक्ष में है उसको बदल कर किसान ओरियेंटेड कीजिये। नहीं तो किसानों का आन्दोलन देश में उमड़ रहा है जो आपकी व्यवस्था को खत्म कर देगा।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष जी, यह कहना उचित नहीं है कि सरकार किसानों के हितों को नहीं देखती है।

यहां तक सरकार का सम्बन्ध है पिछले दो, ढाई सालों में लगातार किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य देने की कोशिश की गई है। और अपने स्तर पर हम लोगों की यह मांग भी ठीक है कि किसानों को और अधिक मूल्य दिया जाये, क्योंकि जब हम मांग करते हैं उससे एक समन्वय पैदा होता है और सरकार को भी देखना पड़ता है कि एक तरफ प्रोड्यूसर्स हैं तो दूसरी तरफ कंज्यूमर्स भी हैं। दोनों के हितों को ध्यान में रख कर एक बैलेंस्ड नीति सरकार को तैयार करनी पड़ती है।

मैं कुछ पोइंट्स की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। एक तो सूखे की स्थिति है। हमारे उत्तर प्रदेश में 6 जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले ढाई, तीन साल से लगातार सूखे की स्थिति है। चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी और पाँड़ी। कहीं पर वर्षा न होने के कारण और कहीं पर विभिन्न प्रकार के कीड़ों की वजह से किसानों की 75 से 90 प्रतिशत तक फसल नष्ट हो रही है जिससे भुखमरी की हालत पैदा हो गई है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि ड्रूट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत क्षेत्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ड्रूट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत एरियाज के सैलेक्शन के लिए जो प्लानिंग कमीशन में एक कमेटी बनाई गई थी, पासपोश बनाई गई थी, वह अपने आप में बड़ी डिफेक्टिव थी। उसमें कई प्रान्तों के तो दो, दो और तीन, तीन मेम्बर थे और कई प्रान्तों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जिसकी वजह से उस कमेटी ने जो रिक्मेंडेशन्स कीं कि इन विकास खंडों को ड्रूट प्रोन एरिया के अन्तर्गत लिया जाये, उसमें कुछ प्रान्तों को अधिक शेयर मिला है जहां ड्रूट की बहुत भीषण स्थिति नहीं थी, और जहां ड्रूट की बहुत भीषण स्थिति थी, उनको बहुत कम ड्रूट प्रोन एरिया के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश में इस समय किसानों का गन्ना बहुत बड़ी मात्रा में खेतों में खड़ा है। हमने किसानों से वायदा किया कि वह गन्ना पैदा करे, उत्पादन बढ़ाये और

उनके गन्ने को मिल क़रीब करे । इस समय जब कि 75 प्रतिशत मिलें उत्तर प्रदेश में पिराई बन्द कर चुकी है, तो ऐसे समय में जिन किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है, मैं समझता हूँ कि उसका कोई और उपयोग नहीं हो सकता है । इससे किसानों को भारी नुकसान होगा । इस तरफ़ सरकार का तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ।

दीर्घकालीन उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि जिन लोगों ने गन्ने की नई मिलें लगाने के लिये लाइसेंस के लिये एप्लाई किया है, उसको अपनी स्वीकृति दे । उसमें आपके मंत्रालय ने बड़ा संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है, उसको आप त्याग दें ।

ए. पी. सी. के विषय में यहां पर कई सदस्यों ने कहा है, मेरा भी रुझाव है कि जो एग्रीकल्चर प्राइस कमिशन है इसका कंपोजिशन ही अपने आप में डिफ़ैक्टिव है । इसमें किसानों को प्रतिनिधित्व ठीक तरह से नहीं दिया गया है । इसमें मीडियम और स्माल फार्मर्स का प्रतिनिधित्व नहीं है । उसी प्रकार से उसका प्रासेस बहुत ब्यूरोक्रैटिक है । जिस समय किसानों के लिये आप सपोर्ट प्राइस की घोषणा करते हैं, वह काफी विलम्ब से होती है । जब इस मांग को सदन में उठाया जाता है तो आप हर प्रकार से आश्वासन देते हैं कि ठीक समय पर इस मामले को देखेंगे, लेकिन उसमें डिफ़ैक्टिव निर्णय नहीं हो पा रहा है ।

इसलिये मैं श्री लकप्पा के बिल को सपोर्ट करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि इन चीजों पर सरकार ध्यान दे और विशेषकर हमारे उन 6 जिलों के अन्दर ड्राउट प्रांटे एरिया उन्हें डिक्लेयर करे ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि श्री लकप्पा ने इस प्रकार का एक अच्छा विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, उन्हें इस प्रकार विधेयक यहां लाने की सद्बुद्धि आई इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ ।

जहां तक किसानों का प्रश्न है, उनको लाभकारी समर्थन मूल्य अवश्य प्राप्त होना चाहिए । इस सदन में जब भी चर्चा हुई है, सभी पक्ष के लोगों ने इस बात का समर्थन किया है । कोई भी व्यक्ति ऐसी राय नहीं रखता जिससे लगे कि किसानों को लाभकारी समर्थन मूल्य न मिले, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसानों को अभी तक यह ठीक से प्रीप्त नहीं हो पाया है ।

ए. पी. सी. की बात अलग है, सरकार का दृष्टिकोण भी इसमें बहुत काम करता है । उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि विदेशों से जो गेहूँ मंगाया जा रहा है वह 200 रुपए से अधिक एक क्विंटल का दाम देकर मंगाया जा रहा है और यहां के किसानों को 142, 145 रुपए प्रति क्विंटल गेहूँ का दाम दिया जा रहा है । यह किसानों के प्रति किस प्रकार की सद्भावना है ? यदि किसानों के प्रति सरकार सचमुच में सद्भावना रखती है और देश के हित के दृष्टिकोण से सोचती है तो उसे अपने देश के किसानों को अधिक मूल्य देना चाहिए । हमारे देश के किसानों को 175 रुपए क्विंटल भी नहीं मिलता और विदेशों को 200 से भी अधिक प्रति क्विंटल दिया जाता है । इससे साफ़ जाहिर है कि हम यहां चाहे जितनी भी मांग करें, आवाज उठाएं, सरकार के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है ।

अभी श्री रावत ने कहा है कि सरकार को किसानों का बहुत ख्याल रहता है । अगर सरकार को किसानों का ख्याल रहता, तो इस प्रकार की स्थिति क्यों आती, क्यों भारतीय किसानों को गेहूँ की कीमत 142, 145 रुपए प्रति-क्विंटल दी जाती, जब कि विदेशों के किसानों को उसी गेहूँ की कीमत 200 रुपए या उससे अधिक दी जाती है ? इसकी वजह यह है कि पूरी सरकारी पाटी इम्पोर्ट करने के पक्ष में है । इस लिए देश के किसानों का कोई भला नहीं हो सकता । श्री लकप्पा ने जो विधेयक रखा है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं । सपोर्ट तो उधर के लोग भी करते हैं, लेकिन उनका विश्वास इम्पोर्ट करने में है ।

इस सरकार ने फर्टिलाइजर, इनसुल्ट-साइड, पेस्टीसाइज और डीजल का मूल्य

[श्री हरिकेश बहादुर]

पिछले ढाई सालों में चार बार बढ़ाया है। बिजली और सिंचाई का रेट कई बार बढ़ चुका है। बीज और कृषि के औजारों की कीमत निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। कृषि में इस्तेमाल होने वाली सब चीजों की कीमत कुछ तो सरकार बढ़ाती रहती है और कुछ उन चीजों का निर्माण करने वाले बड़े बड़े औद्योगिक घराने बढ़ाते हैं। किसानों के दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें कल-कारखानों में बनती हैं, उनकी कीमतें भी लगातार बढ़ती जाती हैं। कृषि में इस्तेमाल होने वाली चीजों और किसान के दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमत बढ़ती चली जा रही है। नतीजा यह है कि किसान बढ़ती हुई महंगाई के बोझ से दबता जा रहा है। जब तक उसका अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं होता, तब तक वह बढ़ती हुई महंगाई में अपना जीवन-यापन ठीक प्रकार से नहीं कर सकता।

इन सब बातों के बावजूद सरकार हमेशा किसान-विरोधी निर्णय लेती है और किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि किसानों के हर एक उत्पादन की कीमत में वृद्धि करनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। किसानों ने देश के विभिन्न भागों में इस सवाल को ले कर आन्दोलन किया है। यहां तक कि श्री लक्ष्मण के राज्य कर्नाटक में भी आन्दोलन हुआ है। श्री लक्ष्मण को विशेष रूप से याद दिलाना चाहता हूँ कि जब निपाणी में किसानों ने उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए आन्दोलन किया, तो सरकार ने किसानों के खिलाफ लाठी और गोली का इस्तेमाल किया।

SHRI K. LAKKAPPA: They were not farmers.

MR DEPUTY-SPEAKER: I hope, the agitation was not led by Mr Lakkappa.

SHRI HARIKESH BAHADUR: Some farmers were killed in that agitation; he will remember that.

SHRI K. LAKKAPPA: That was for political gains.

SHRI HARIKESH BAHADUR: I am not talking of political gains. I am simply saying when farmers come before the Government with their demands, Government does not meet their demands properly but, on the other hand, shoots at them.

कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आन्ध्र और उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी किसानों ने अपनी न्यायोचित मांगों को ले कर आन्दोलन किया, सरकार ने उन मांगों के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाने के बजाए लाठी और गोली का इस्तेमाल किया।

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachi): He is deliberately avoiding mentioning Tamil Nadu.

श्री हरिकेश बहादुर : जैसा कि श्री दंडपाणि कह रहे हैं, तमिलनाडू में भी आंदोलन हुआ और वहां की सरकार का दृष्टिकोण भी ठीक नहीं था। हर एक सरकार का यह फर्ज है कि चूंकि भारत एक कृषि-प्रधान देश है और सारे देश की अर्थ-व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, इस लिए किसानों के प्रति न्याय किया जाए। लेकिन न तो मौजूदा केन्द्रीय सरकार ऐसा कर रही है और न ही उससे सम्बन्धित राज्यों की सरकारें कर रही हैं। जब भी देश में आँला पड़ता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ या तूफान आता है, तो उसका सब से ज्यादा प्रभाव किसानों पर पड़ता है। अभी उड़ीसा में तूफान आया, कई गांवों के अंदर सारी फसल खराब हो गई और गांवों में रहने वाले तमाम किसान वरबाद हो गए। आँला पड़ता है तो भी यही होता है। अभी सूखा सारे देश के अंदर पड़ रहा है। कम से कम देश के आधे हिस्से में तो भयंकर सूखे की स्थिति में किसानों की आज क्या दशा है? यह मजाक की बात नहीं है, इस को आप गम्भीरता से लीजिए।

एक माननीय सदस्य : उड़ीसा में जो तूफान आया उस में केवल किसान नहीं, सभी प्रभावित हुए।

श्री हरिकेश बहादुर : सभी थे, यह बात सही है। मेरा कहना यह है कि तूफान भी

जाया तो उस में भी ज्यादातर लोग जो गांवों में समुद्र के किनारे रहते हैं उन को ज्यादा नुकसान हुआ। कोई भी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो उस का सब से अधिक प्रभाव किसानों के ऊपर ही पड़ता है। वैसे तो आप जा कर समुद्र में कूद जाए तो आप भी नहीं बचेंगे। इस समय देश में भयंकर सूखे की स्थिति है और यह सरकार आज इस स्थिति के प्रति उदासीन है। हम जानते हैं, हमारे गोरखपुर में कितना भयंकर सूखा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और जो राज्य रह गए हैं छूटे हुए, माननीय सदस्यगण उन को पूरा कर देंगे, इन सभी राज्यों में भयंकर सूखे की स्थिति है। इस प्रकार कम से कम देश का आधा हिस्सा आज भयंकर सूखे की स्थिति में है। यहां तक कि दक्षिण भारत के भी कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर कि अब तक काफी तेजी से मानसून आ जाना चाहिए था, वहां भी वह नहीं आ पाया है। तामिलनाडु में भी अभी तक यह स्थिति नहीं बन पाई है जिस के कारण वहां भयंकर बिजली संकट व्याप्त है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उस की चर्चा यहां की है। तो सूखे के कारण भी देश के किसानों को भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इन सारे हालात में सरकार को चाहिए कि किसानों के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाए जिस से कि किसानों को लाभ हो। आज सूखे की स्थिति में किसानों को सिंचाई करने के लिए बिजली नहीं ठीक से मिल पा रही है, नहरों के अंदर ठीक से पानी नहीं जाता क्योंकि जो कर्मचारी हैं उन के ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं रहा। सरकार का उधर ध्यान नहीं जाता। यह सरकार उन को नियंत्रित नहीं कर पाती है। इन सारी बातों का असर किसानों पर पड़ रहा है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि तमाम बातों को ले कर सरकार उन पर विचार करे और किसानों को राहत देने वाली सारी योजनाओं को तेजी से लागू करे। साथ ही किसानों को लाभकारी समर्थन मूल्य भी दे।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि गन्ना के किसानों की आज क्या स्थिति है ?

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जिन गन्ना किसानों को हम लाभकारी मूल्य देने की बात करते हैं उनका गन्ना आज भी खेतों के अंदर पड़ा सूख रहा है। यह स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश में। मिलों पर चाहे वह सरकारी कब्जे में ली गईं मिलें हों या बड़े बड़े मिल मालिकों और पूंजीपतियों की मिलें हों, सारी ही मिलों पर किसानों का कराड़ो रुपया बकाया है उत्तर प्रदेश और बिहार में। वह पैसा उन को वापस नहीं दिया जा रहा है। गन्ना किसानों को जो सरकार द्वारा घोषित मूल्य था वह भी नहीं दिया गया, इस बात से सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे। तो गन्ना किसानों के सामने जो आज कठिनाई है वह यह कि एक तो उन घोषित मूल्य नहीं मिलता और दूसरे उन का रुपया मिलों पर बकाया पड़ा है। वह उन्हें दिलाया जाना चाहिए। साथ ही जो गन्ना खेतों में खड़ा रह कर सूख गया है, सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि अब की बार तो उसने किसानों के साथ भयंकर अन्याय किया ही, भविष्य में ऐसा अन्याय न होने पाए। उन का गन्ना मिलों में जा सके इस का प्रबन्ध होना चाहिए। जब गन्ना ही मिलों में नहीं जाएगा तो लाभकारी मूल्य क्या मिलेगा ? इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और सरकार से अनुरोध करता हूँ...

MR. DEPUTY-SPEAKER: To whom has this Government not done injustice?

SHRI HARIKESH BAHADUR: There is no section in the society which has not suffered injustice because of the Government action.

इसलिए मैं चाहता हूँ कि गन्ना किसानों को उन के उत्पादन का लाभकारी समर्थन मूल्य दिया जाए। साथ ही दूसरे किसानों को भी दिया जाए। सरकार इस पर विचार करे और जो किसानों के विरुद्ध दृष्टिकोण उसका है उस में बदलाव लाए।

श्री मूल चंद डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा एक स्वभाव बन गया है कि हम किसी न किसी बात पर चर्चा करते रहते हैं। योजना भवन और कृषि भवन के

[श्री मूल चंद डागा]

बीच में छोटे छोटे किसानों का, मार्जिनल फार्मर्स और स्माल फार्मर्स जिन को कहा जाता है कि वह देश की रीढ़ की हड्डी है, उन का क्या हाल बनता है ? सवाल यह है कि लोगों की हालत सुधर क्यों नहीं रही है ? केवल एक बात है कि चर्चा करना हमारा स्वभाव है और हम चर्चा करते हैं। स्वामीनाथन साहब ने एक जवाब दिया था, उस की मैं चर्चा कर रहा हूँ।

स्वामीनाथन साहब ने जो जवाब दिया था वह इस प्रकार से है :

"The terms of reference of the Agricultural Prices Commission was modified on 5th March, 1980. A copy of the revised terms of reference is attached as Annexure I."

आपने जवाब दे दिया कि ए.पी.सी. में एक अमेन्डमेंट कर दिया है लेकिन उसका फल क्या हुआ ? जो इस सदन की पब्लिक अण्डर-टैकिंग्स कमिटी है, उसने क्या दावेपारोपण किया है उसको भी आप सुन लीजिए :

"The question of the purchase does not impress the Committee. Although the whole of the wheat and a large part of rice procured was under the price support operation, regretablely, the direct purchases from the producer were negligible. The purchases through farmers' cooperatives during the last three years was less than 30 per cent of the total purchases in the case of wheat, whereas it was negligibly small in the case of paddy. During the current year, there has been some improvement inasmuch as 7.5 lakh tonnes of paddy was procured from farmers' cooperatives. The Committee need hardly point out that greater efforts are needed to go in for more of direct procurement from the producer or from producer cooperatives rather than through intermediaries so that the benefit could reach the producer fully."

यह हालत हुई है। उन्होंने बताया है कि जो एक्जुअल प्रोड्यूसर्स हैं उनसे पर्चेज नहीं होती है बल्कि मिडिलमैन के द्वारा पर्चेज की जाती है। कमिटी ने आगे कहा है :

"The Committee are anxious to see that the producer actually gets the minimum support price for his produce. They regret that no survey has been conducted to ascertain how far the primary producer got the benefit of the operations of the FCI. When the purchases are made from the intermediaries it was not ensured that the producer got the price fixed. For instance, in Punjab or Haryana no purchase is made directly by the FCI. The purchases are made through "katcha artiyas".

This is the recent Twentysecond Report (1980-81) of the Public Undertakings Committee. You see the conditions of the F.C.I.

We gave subsidy to the FCI in 1977-78 Rs 478.775 crores, in 1978-79, it was Rs 570.00 crores, in 1979-80, it was Rs. 600.00 crores; in 1980-81 it was 650.00 crores and in 1981-82 it was Rs 650.00 crores.

इतनी सब्सिडी देने के बाद भी आज व्होटे क्यों इम्पोर्ट करना पड़ा ? ए पी सी के साथ चीफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई उसमें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने मांग की कि 175 रुपए प्रति क्वींटल पर गेहूँ खरीदा जाए, यू. पी. ने 164 रुपए क्वींटल की बात कही, पंजाब ने 161 रुपए और हरियाणा ने 160 रुपए प्रति क्वींटल पर खरीदारी करने की बात कही। लेकिन ए पी सी में आप चीफ मिनिस्टर्स की बात नहीं मानते हैं। फिर छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को किस प्रकार से रेग्युरेटिव प्राइस मिल सकती है। मरे विचार से यहां पर 25-30 बार छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के बारे में विचार हो चुका है लेकिन आज तक उनको लैंड सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत जमीन भी नहीं मिल सकी है। इस देश में केवल कुछ काश्तकारों की एक लाबी बनी हुई है जोकि खूब पैसा कमाते हैं। उनको पानी नहीं, उनको खाद नहीं, उनको बीज नहीं और उनको एक चीज है कि कच्चे आढ़तिए को अपना माल बेचना पड़ता है। उनके माल की डायरेक्ट परचेज नहीं की जाती है। हिन्दुस्तान में 38 प्रतिशत मार्जिनल और स्माल फार्मर्स होंगे, लेकिन उनकी कोई

नहीं सुनता है और हमारे माननीय सदस्य, श्री लक्ष्मण जी ने यह बिल पेश किया है :

At present due to the increased cost of farming operations, farmers, specially the small and marginal farmers are not getting a remunerative price in respect of many agricultural commodities.

इस बात को इस सदन में 20 बार उठाया जा चुका है। इस बात को कहते-कहते 25 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि इसका फल क्या निकलेगा। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन और फूड-कारपोरेशन आफ इंडिया ने भट्टा बैठा दिया है, जिस परपज के लिए यह संस्था बनी थी।

The bank overdraft was of the order of Rs 2033.58 crores at the end of March, 1980.

यह फूड कारपोरेशन की हालत है, जो कि डायरेक्ट परचेज नहीं करता है, जिस पर इतना बड़ा ओवर ड्राफ्ट है।

'The Committee have indicated earlier the steps that could be taken to improve the ways and means position and reduce the cash credit. It is a matter of concern that the outstanding dues to the Corporation were Rs 452.57 crores of which Rs 183.73 crores were more than six months old. There should be stricter credit control'.

कृषि भवन और योजना भवन में मीटिंग्स होती रहती हैं कि प्राइस तय कर दी जाए। जब मुख्य मंत्री यहां आ कर कहते हैं, तब भी उनकी बात को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन शायद अब लक्ष्मण साहब की आवाज पहुंच जाए। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान की सारी जमीन कुछ बड़े-बड़े लोग लेकर बैठे हुए हैं। लैंड सीलिंग एक्ट भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके आने के बावजूद भी हमारे माननीय मंत्री स्वामीनाथन कहेंगे कि हमने यह कर दिया और वह कर दिया। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने इतना बड़ा फार्मूला लिख रखा है, लेकिन आप बताइए फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई, बिजली के दाम बढ़ गए, कपड़े की कीमत बढ़ गई और लोहे के दाम बढ़ गए

और पूंजीपति और पूंजीपति बन गए और किसान बेचारा गरीब का गरीब रह गया। उसके मकान ऐसे ही हैं, एक-दो प्रतिशत ही कश्तकार ठीक हुए हैं। शहर में सारी पूंजी आ गई है, दिल्ली के अन्दर केंद्रित हो गई है। जयपुर में केंद्रित हो गई है और गांव बेचारे गरीब के गरीब रह गए। ए.पी.सी. की बातें, मरे ख्याल में, सिर्फ बातें ही हैं। इस प्रकार कुछ बड़े-बड़े काश्तकारों की लाबी धन गई है और हम लोग जो चर्चा करते हैं, वह सिर्फ चर्चा है। मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम इन बातों के बारे में सोचा जाए और ए.पी.सी. को खत्म किया जाए और मार्जिनल व स्माल फार्मर्स के ज्यादा से ज्यादा मैम्बर्स एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में लिए जाएं और उनका माल पहले खरीदा जाए और बड़े काश्तकारों को बाद में, तब जाकर कुछ काम हो सकता है।

श्री विलोप सिंह भूरिया (भाबुआ) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री लक्ष्मण, को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सदन के सामने छोटे किसानों से संबंधित समस्याओं का हल निकालने के लिए बिल पेश किया है।

किसानों के लिए आज तक मार्केटिंग की व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया है। किसान कड़कती सर्दों और तपती धूप में खेतों में काम करता है लेकिन उसके उसके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं कृषि मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ जैसा कि आज हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जब प्राइस इन्डैक्स बढ़ जाता, तो कर्मचारियों को एटोमीटिक मंहगाई भत्ता मिल जाता है, कि ऐसी व्यवस्था कम से कम किसानों के लिए भी करनी चाहिए। किसानों के बारे में भी हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि जहां प्राइस इन्डैक्स बढ़े, एटोमीटिक किसानों की रापोर्ट प्राइस बढ़ जानी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था हुई तब हमारा किसान आगे बढ़ सकता है, नहीं तो किसानों की समस्याएं ऐसे ही चलती रहेंगी।

आज जो गरीब गरीबी-रेखा के नीचे हैं, वे हमारे किसान ही हैं। बैंकों से जो

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

लोन दिया जाता है, अगर उस का सर्वे कराया जाए, तो पता चलेगा कि 75 पर सेन्ट हमारे जो किसान हैं, वे कर्ज से दबे हुए हैं। आज जब किसान कर्ज लेता है, तो वह आसमान से साँदा करता है, वह क्लाइमेट से साँदा करता है, वह धरती के साथ साँदा करता है क्योंकि अगर वह कुएँ के लिए लोन लेता है और धरती खादता है, तो उस से पानी नहीं निकलता है। अब इस में किसान की क्या गलती है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह कहूँगा कि आप यह कर दें कि अगर उस ने कुएँ के लिए लोन लिया और कुएँ से पानी नहीं निकला, तो उस किसान का कर्ज माफ होना चाहिये। अगर पानी न मिले, अगर सूखा पड़ जाए, अगर तूफान आ जाए और इन से फसलें चौपट हो जाएं, तो किसान का सारा का सारा कर्ज माफ हो जाना चाहिए और जो किसान को कर्ज के कन्वर्शन की बात होती है, वह नहीं की जानी चाहिए क्योंकि दूसरे साल भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि वह कर्ज अदा न कर पाए। इस तरह से किसान का कर्ज दिनों-दिन बढ़ता चला जाता है और किसान कर्ज से दबा जा रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में जहाँ सूखा पड़ जाए, तूफान आ जाए या कुएँ से पानी ही न निकले, किसानों का सारा कर्ज माफ कर देना चाहिये। आज हम यह देखते हैं कि किसानों पर 10-10 और 20-20 सालों से कर्ज है और उन पर दंड ब्याज लगाया हुआ है। ऐसे किसानों का सर्वे कराया जाए और ऐसे किसान, जो लोन का रिपेमेंट नहीं कर सकते और कम से कम हमारे आदिवासी, हरिजन और जो छोटे किसान हैं, उन सब का कर्ज माफ कर देना चाहिए। तभी हमारे देश के किसानों की अर्थ-व्यवस्था ठीक हो सकती है और तभी हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था भी ठीक हो सकती है। अगर हमारे देश में खेती अच्छी हो जाए, तो हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था ठीक होती है और अगर खेती खराब हो जाती है, सूखा पड़ जाता है और खेतों को पानी नहीं मिलता है, तो हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था ठीक न हो

कर गड़बड़ा जाती है और फिर हम दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़ता है।

तभी हमारे डागा साहब ने और बहुत सारे मित्रों ने एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमिशन की बात कही। आज हमारे किसानों का भविष्य दूसरे आदमियों के हाथों में सौंप रखा है। हमारी हमेशा यही पालिसी रहती है कि एयरकंडिशनड कमरों में बैठकर निर्णय करें और ऐसे लोगों द्वारा निर्णय किया जाता है, जिन को किसानों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, खेती के बारे में जिनको मालूम ही नहीं है। अब अगर इस तरह से निर्णय होंगे, तो किसानों का भविष्य ठीक नहीं हो सकता।

मैं आपको जापान का उदाहरण देना चाहता हूँ। जापान में अगर किराी चीज की कीमत इस समय 100 रुपए है और मंहगाई के कारण उस की सपोर्ट प्राइस 150 रुपए वे डेकेलेयर करते हैं, तो कन्ज्यूमर को, उपभोक्ता को वह चीज 100 रुपए में ही बेची जाती है। 50 रुपए का जो मार्जिन है, वह सब्सीडी, अनुदान के रूप में दिया जाता है और यही कारण है कि वहाँ पर आवश्यक वस्तुओं के दाम 10-15 साल से एक ही चले आ रहे हैं और चीजों के भाव नहीं बढ़े। इस से किसान भी खुश है और उपभोक्ता भी खुश है और सारी की सारी सब्सीडी का भार शासन वहन करता है। इस में भी ऐसी कई चीजें हैं, जिन के दाम आज तक नहीं बढ़े। हमारे यहाँ आप देखिए कि दूध के क्या दाम हैं। दूध हर आदमी को चाहिए चाहे वह अमीर हो या गरीब मगर कहीं 2 रुपए लीटर और कहीं 5 रुपए लीटर दूध मिल रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो खाने की चीजें हैं, उन सब को वह अपने हाथ में ले और चाहे वह गांव हो, मध्यम शहर हो, सब जगह उन के दाम एक होने चाहिए और उसी पर उपभोक्ता को मिलनी चाहिए। तभी हमारे देश की एकोनामी ठीक तरह से चल सकती है। अगर नेशनलिटी की भावना है, तो हमारे देश की प्रगति

किसानों पर बहुत निर्भर है। किसान को आज भी चाहे पैसा मिले या न मिले, बिजली मिले या नहीं मिले, बैंक से ऋण मिले या न मिले, फिर भी वह दिन रात रोहनत कर के पैदावार को बढ़ा रहा है। हमारा देश जो आज प्रगति कर रहा है उसके लिए भारत के किसान धन्यवाद के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्रीज लगती हैं, चाहे वह काटन की हों, चाहे आयल सीड्स की हों, चाहे दूसरी हों, जब तक उन इंडस्ट्रीज में आप किसान को भागीदारी नहीं देंगे, जब तक आप उन इंडस्ट्रीज में लाभांश नहीं देंगे तब तक इस देश के किसान की माली हालत अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शासन और मंत्री महोदय, ऐसी व्यवस्था करें कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में किसान को भी भागीदारी मिले, उसका लाभांश उसको भी मिले। चाहे वह कपड़े की इंडस्ट्री हो, चाहे रुई से धागा बनाने की इंडस्ट्री हो। इन सब में उसको भागीदारी देने की व्यवस्था करें।

हमें इस देश में कृषि को भी उद्योग मानना पड़ेगा। इंडस्ट्री चलाने वालों के तो कर्ज माफ कर दिए जाते हैं लेकिन जो लोग खेती का धंधा करते हैं उनके कर्ज माफ नहीं किए जाते हैं। अगर आप खेती को भी उद्योग मान लें तो इस से किसान भी तरक्की करेगा और देश भी मजबूत होगा। इस देश में किसान की तरक्की से बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है। दुनिया में बड़े-बड़े देशों ने किसान की तरक्की कर के ही तरक्की की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे साथी श्री लक्ष्मा साहब यह बिल लाए हैं इसके स्टेटमेंट में कहा है कि :

"The Central Government shall, in consultation with the Agricultural Prices Commission, announce in time the support price of different agricultural commodities for the different regions of the country before every agricultural season."

यह तो हमारी सरकार की नीति रही है लेकिन मेरे स्थान में उस पर काम नहीं हो रहा है। कभी कभी तो फसल आने के बाद ही दाम तय होते हैं। इसके बारे में हमारे साथी लक्ष्मा ने कहा है ---

sometimes haye are even forced to give up the cultivation and switch-over to other profession.

इस तरह से किसान को पूरा प्राफिट नहीं होता है।

मैं गहाराष्ट्र के किसान की बात कह सकता हूँ जो एम्प्लायमेंट गारन्टी स्कीम में वहाँ मजदूर हो के काम करना पसन्द करते हैं। किसान की बात तो हमेशा चलती रहती है लेकिन मैं ऐसा भी नहीं मानता हूँ कि किसान की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं यह मानता हूँ कि उनकी स्थिति में कुछ न कुछ सुधार अवश्य हुआ है। हाँ उनके सुधार में काफी कमियाँ हैं।

मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एक कन्सल्टेंटिव बाडी है। सरकार उसकी सिफारिशें कभी तो मानती है कभी नहीं मानती है। अभी उसने गन्ने के दाम साढ़े प्रन्द्रह रुपये तय किए थे लेकिन सरकार ने 13 रुपए दाम तय किए। किसी एक सैक्शन के दबाव में आ कर सरकार की नीति कमीशन से बिल्कुल अलग हो जाती है और कमीशन की सिफारिश बिल्कुल अलग होती है।

जब पश्चिम बंगाल में जूट के बारे में सवाल उठा था तो हमारे कामर्स मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जो स्कीम काटन प्रोक्योरमेंट की महाराष्ट्र में चालू है उसी ढंग से वहाँ की सरकार भी जूट खरीद ले। मैं काटन के बारे में कहना

[श्री बालासाहब विखे पाटिल]

चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार ने जो काटन के दाम तय किए हैं और स्कीम चलाने में एक्स्टेंशन की परमीशन भारत सरकार नहीं दे रही है। सरकार की बातों से लगता है कि अभी बात चल रही है, अभी सरकार सोच रही है।

मेरी समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो आप अलग ढंग से नीति तय करते हैं और कमीशन की सिफारिश अलग ढंग से होती है और गांवों में जो किसान पैदा करता है उसके दाम उसकी इन्वेस्टमेंट कंपैसिटी से मेल नहीं खाते। अभी मैंने 19 तारीख को एक सवाल किया था जिसके जवाब में आपने कहा और यह बताया कि आपकी परचेजिंग एजेंसीज ने किसान से किस भाव में माल खरीदा और उस समय मार्केट में उसके दाम क्या थे। आपके जवाब से पता लगता है कि मार्केट के आधे दाम में आपने किसान से उसका माल खरीदा, उसकी कपास खरीदी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह बायर्स मार्केट है, यह सेल्स मार्केट नहीं है। इसमें ट्रेडर्स को सुविधा है और किसान को उसकी प्रोडक्शन के दाम नहीं मिलते हैं। आज इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि नहीं हमारे ऊपर बहुत असर हो रहा है, लेकिन जब एग्रीकल्चर अच्छा होता है तो इंडस्ट्री को भी फायदा होता है। सभी जगह देखिए, चीनी का ज्यादा उत्पादन, गन्ने का ज्यादा उत्पादन, गुड़ का ज्यादा उत्पादन, गेहूँ का ज्यादा उत्पादन, तब भी इंडस्ट्री में रिसेशन क्यों है? जब इंडस्ट्री में रिसेशन आता है तो सरकार के पास कई मेमोरेण्डम आ जाते हैं और सरकार उनको सुविधाएं प्रदान करती है, लेकिन जब एग्रीकल्चर में रिसेशन आता है तो लोग का कन्वर्शन कर देते हैं। सूखा, अकाल, तूफान आदि में जब लोग कन्वर्शन हो जाता है तो इस बात का ए.पी.सी. कभी ख्याल नहीं रखता। ए.पी.सी. सही ढंग से किसान की उन्नति की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले साल साढ़े पन्द्रह रुपये क्विंटल गन्ने के दाम

कि सिफारिश की और इस साल भी उतनी ही सिफारिश की। ज्वार, गेहूँ की भी वही स्थिति है। कहते हैं कि हमको कंज्यूमर का ध्यान करना है, सरकार भी यही बात कहती है। इसी प्रकार जब क्रीडिट का सवाल आता है तो किसान का सोसायटियों के पास कितना ही डिपॉजिट हो, लेकिन डिफाल्टर होने के बाद उनको कोई सुविधा नहीं मिलती। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सोसायटी को छोड़कर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसायटी का काम और अन्य सोसायटियों का काम कोई खास अच्छा नहीं चल रहा है।

ऑनियन के बारे में क्या हुआ? केन्द्रीय सरकार ने तय किया था कि जो भी राज्य सरकार ऑनियन का व्यापार करेगी, उसमें जो भी घाटा होगा, उसका आधा हिस्सा केन्द्रीय सरकार देगी। महाराष्ट्र सरकार ने ऑनियन की खरीद की और उसमें 18 करोड़ का घाटा हुआ, लेकिन अभी तक भारत-सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। इस प्रकार जो राज्य सरकारें किसान का भला चाहती हैं, वे भी किसान की मदद नहीं कर सकतीं। इन सब बातों की ओर हमको सोचना चाहिए और राज्य सरकार को उत्तेजित करना चाहिए। मैंने तो यह मांग की थी कि एक नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर प्राइसेस नाम से एक बाडी बना दी जाए, जिसकी सिफारिश को सरकार को कानून से मानना पड़े। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के चेयरमैन को हटा दिया गया है, वहां चेयरमैन नहीं है। मुख्य मंत्रियों की बात को भी नहीं माना जाता। अलग-अलग आर्गनाइजेशंस को बुलाकर चर्चा की जाती है, लेकिन जब दाम तय करते हैं तो किसी बात को ध्यान में नहीं रखा जाता और किसान को फायदा नहीं होता।

किसान को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों में अन्तर करना बहुत आवश्यक है। आज जो हम फायदा देते हैं वह समान रूप से दिया जाता है, चाहे दो एकड़ का किसान हो या 20 अथवा 50 एकड़ का किसान हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली):
50 एकड़ का किसान कहां है ?

श्री बालासाहेब विश्वे पाटिल : नान-इरीगेटेड एरियाज में लैण्ड सीलिंग के बाद भी 54 ए.इ. का किसान है ।

इसलिए इनपुट्स की कीमतें, बिजली, पानी के दाम, कीमतें जो लोन देते हैं, इन सब चीजों के बारे में जब तक छोटे किसानों को अलग से सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक उसकी उन्नति नहीं हो सकती ।

इसलिए छोटे किसान के बारे में अलग से सोचने की आवश्यकता है । उसको संरक्षण देने की आवश्यकता है । अगर सब किसानों के बारे में एक तरह से सोचा जाएगा तो छोटा किसान ऊपर नहीं आ सकता । आज छोटे किसानों की संख्या कम हो रही है । वे अपनी खेत बेच रहे हैं और बड़े किसान खरीद रहे हैं । इसलिए छोटे किसान की ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है ।

18 hrs

आशा है मंत्री महोदय इन सब चीजों की ओर ध्यान देंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपने साथी लक्ष्मण को धन्यवाद देता हूँ ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sunder Singh: You take only one or two minutes. Then next time you can continue.

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : माननीय लक्ष्मण जी यह जो बिल लाए हैं पता नहीं किस के खिलाफ लाये, गवर्नमेन्ट के खिलाफ लाए हैं या एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन के खिलाफ लाए हैं या किस के खिलाफ लाए हैं । ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने सिर्फ फार्मर्स का ही इस में ख्याल रखा है । क्या बाकी लोग भूखे मर जाएं ? उन्होंने दो सौ रुपया करने की बात कही है । क्या बात करते हैं ? लैंड रिफार्म अभी तक हुआ नहीं है । हमारे यहां एक एकड़ में किसान आठ आठ हजार कमाता है । वह मेहनत करता है और कमाल दिखाता है । किस किसान की वह बात करते ? क्या मारिजिनल किसान की बात करते हैं ? उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वे काम ही नहीं करते हैं ।

18.01

[MR. SPEAKER in the Chair]

स्पीकर साहब को ही आप लें । ये एक लैंडलार्ड है ।

अध्यक्ष महोदय : गन्ने के बीज को जो बाकी है वह अगली बार के लिये रख लेते हैं । आप अगली बार अपना भाषण जारी रखें । बाकी जो कुछ आपको कहना है, अगली बार कहें ।

18.02 hrs.

RESIGNATION BY MEMBER

MR. SPEAKER: I have to inform the House that I have received a letter dated the 22nd July, 1982 from Shri Zail Singh, an elected Member from Hoshiarpur constituency of Punjab, resigning his seat in Lok Sabha. Although it is not the practice to inform the House of the reasons for resignation, in this particular case I am happy to inform the House that he has resigned his seat in Lok Sabha in view of his election as President of the Republic. I have accepted his resignation with effect from today, the 22nd July, 1982, afternoon

18.03 hrs.

DISCUSSION ON PRIME MINISTER'S STATEMENT RE. SITUATION IN LEBANON—Contd.

MR. SPEAKER: We shall now resume the discussion under rule-193. Shri Ram Singh Yadav.

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, लेबनान के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की ओर से जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे अपने आप में एक बहुत गम्भीरता लिए हुए हैं । लेबनान की पृष्ठभूमि को जब हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में यह समस्या उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की देन है । 1920 में सब से पहले 16500 ज्यूज यहां पर आकर आबाद हुए थे । चर्चिल साहब सेंक्रेटरी की हींसियत से—लेबनान गए थे और उस समय यह मसला सब से पहले सामने आया था । अरब लोगों ने उसका बड़ा विरोध